न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/1118

1. उमराव पुत्र स्व. श्री गंगू
2. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री गंगू
3. बजरंग लाल पुत्र स्व. श्री गंगू
4. शांति देवी पत्नी स्व. श्री गंगू
5. शिम्भु देवी पुत्री स्व. श्री गंगू
6. रामप्यारी पुत्री स्व. श्री गंगू
7. भगवती देवी पुत्री स्व. श्री गंगू समस्त जाति मीणा, समस्त निवासीयान झालरा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर (राजस्थान) ।

—अपीलांट्स

बनाम

1. पवन कुमार मीणा पुत्र श्री कानाराम, जाति मीणा, निवासी डूंगरी खुर्द, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर।
2. लक्ष्मण पुत्र श्री कानाराम, जाति मीणा, निवासी डूंगरी खुर्द, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत ड्योढी, तहसील फुलेरा, हाल तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर जरिये सरपंच/सचिव
4. ताराचन्द पुत्र श्री साधुराम
5. रतन लाल पुत्र श्री साधुराम
6. श्रवण पुत्र श्री साधुराम
7. चौथी देवी पुत्री श्री साधुराम
8. सीता देवी पुत्री श्री साधुराम
9. संतोष पुत्री श्री साधुराम
10. माया पुत्री श्री साधुराम
11. रामस्वरूप पुत्र श्री प्रभात
12. गीता पुत्री श्री प्रभात
13. हरफूल पुत्र श्री काना राम
14. मीरा देवी पुत्री श्री काना राम
15. सरजू देवी पुत्री श्री काना राम
16. संज्या पुत्री स्व. श्री नाथू
17. संतरा पुत्री स्व. श्री नाथू
18. गुड्डी पुत्री स्व. श्री नाथू
19. बलदेव पुत्र स्व. श्री नाथू
20. रमेश पुत्र स्व. श्री नाथू
21. रूकमा देवी पुत्री स्व. श्री नाथू
22. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री प्रभात
23. गीता पुत्री स्व. श्री प्रभात
24. गुलाबी देवी पत्नी स्व. श्री प्रभात समस्त जाति मीणा, समस्त निवासीयान झालरा डूंगरी खुर्द, तहसील किशनगढ, जिला जयपुर

—रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर आदेश दिनांक 23.04.2025 बउनवानी प्रकरण पवन कुमार मीणा व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत डयोढी नामा0 संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 ग्राम डूंगरी खुर्द तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

उपस्थित–

1. श्री कृष्ण कुमार पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री गजराज कुमार योगी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 5, 13, 15, 16 एवं 20 की ओर से।
3. श्री घीसालाल कुम्हार वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 4, 6 से 12, 14, 17 से 19, 21, 22 एवं 26 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–26.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के समक्ष ग्राम पंचायत डुंगरी खुर्द द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 को निरस्त कर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामा0 दर्ज करने के आदेश दिनांक 23.04.2025 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 23.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुरके निर्णय दिनांक 23.04.2025 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 2 ने माननीय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 ग्राम झालरा डूंगरी खुर्द, तहसील फुलेरा में स्थित है, जिसका एक मात्र मालिक व स्वामी धन्ना पुत्र पन्ना राम मीणा था। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 79 धन्ना की विरासत का नामान्तकरण छोटू, साधु व नाथू के नाम से तस्दीक कर दिया गया, जबकि छोटू का धन्ना से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं था, उसके बावजूद भी छोटू के पुत्र गंगू के नाम धन्ना के विधिक विरासत का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया, जो कि पूर्णतया ही गलत व विधि विरूद्ध है। जबकि गंगू पुत्र छोटू व छोटू का धन्ना से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है व ना ही कोई सरोकार था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल द्वारा लगभग 54 वर्षों बाद पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात का सही प्रकार से अवलोकन नहीं करते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही, अपील का अंतिम रूप से निस्तारण फरमा दिया, जो कि विधि के प्रावधानों के कतई विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्स को पक्षकार बनाये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आक्षेपित निर्णय पारित करते हुये विधि की भारी भूल की है। यहां पर यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है विवादित आराजी के संबंध में भिन्न–भिन्न न्यायालयों से निर्णय व डिक्री पारित हो रखी है। उक्त तथ्यों की ओर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। अपीलांट्स विवादित आराजी भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उनका विवादित आराजी में हित निहित है, परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने माननीय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में जानबूझकर बदनियती से पक्षकार नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 54 वर्षों बाद ग्राम पंचायत डुंगरी खुर्द द्वारा विधिवत् खोले गये नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 को निरस्त किये जाने के पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2025 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 को बहाल रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 ग्राम झालरा डूंगरी

खुर्द, तहसील फुलेरा हाल किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसका एक मात्र मालिक व स्वामी धन्ना पुत्र पन्ना राम मीणा था । उसकी मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 79 तस्दीक करते वक्त बिना विधि वारिसान की जांच पड़ताल किये ही नामान्तकरण संख्या 79 धन्ना की विरासत का नामान्तकरण छोटू, साधु व नाथू के नाम से तस्दीक कर दिया गया जबकि छोटू का धन्ना से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं था, उसके बावजूद भी छोटू के पुत्र गंगु के नाम धन्ना के विधिक विरासत का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया, जो कि पूर्णतया ही गलत व विधि विरूद्ध था। परन्तु ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त धन्ना के विधिक वारिसान की जांच पडताल किये बिना ही अवैध रूप से धन्ना के कानूनी व विधिक वारिसान को दरकिनार करते हुये केवल मात्र दो पुत्र छोटू व साधु के नाम एंव गंगू पुत्र छोटू के नाम से नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। जबकि गंगू पुत्र छोटू व छोटू का धन्ना से किसी प्रकार का कोई संबंध नही व सरोकार नहीं था। धन्ना के विधिक वारिसान में फुली देवी, साधुराम, प्रभातराम, कानाराम की मृत्यु हो चुकी है एंव इनकी मृत्यु उपरांत रेस्पोडेन्टस धन्ना के एकमात्र विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। जिनके नाम धन्ना की विरासत का नामान्तकरण खोला जाना चाहिए लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए बाला बाला व अवैध रूप से नामान्तकरण संख्या 79 तस्दीक कर दिया। धन्ना की मृत्यु पश्चात आज दिनांक तक धन्ना के मात्र विधिक वारिसान रेस्पोडेन्टस अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा हिस्से अनुसार नामान्तकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा विधिवत् ही नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 को निरस्त कर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामा0 दर्ज करने के आदेश दिनांक 23.04.2025 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। चूंकि गंगू पुत्र छोटू की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। अतः प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उप सरपंच डूंगरी खुर्द द्वारा धन्ना पुत्र पन्नाराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 30.06.1971 को केवल साधू, नाथू एवं गंगू पुत्र छोटू के नाम

स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तकरण के प्रथम दृष्टया अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरकरण में मृतक खातेदार की पत्नि फूली देवी एवं अन्य विधिक वारिसानों को शामिल नहीं किया गया है। उक्त नामान्तरकरण विवादित होने के कारण उप सरपंच द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर था। जबकि विवादित नामान्तरकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत् तहसीलदार द्वारा समस्त विधिक वारिसान् के नाम तस्दीक किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल द्वारा गंगू पुत्र छोटू के वारिसान् को बिना पक्षकार बनाये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य मृतक खातेदार धन्ना पुत्र पन्नाराम के वारिसान् के संबंध में विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय को मृतक खातेदार धन्ना पुत्र पन्नाराम के विधिक वारिसान् की जॉच हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रेतिप्रेषित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थीगण द्वारा भी मृतक खातेदार धन्ना पुत्र पन्नाराम के वारिस होने के संबंध में कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किये गये हैं। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 नामान्तरकरण संख्या 79 निरस्त किये जाने की हद तक स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत् कार्यवाही कर उभयपक्षों को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, सभी न्यायिक निर्णयों का अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर